न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 137/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

<u>अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.</u>

अनवान प्रार्थीगण – 1.अर्जुनसिंह पुत्र हेमसिंह 2.भीखकंवर पत्नि हेमसिंह 3.रूगनाथसिंह गोदपुत्र तेजमालसिंह, जाति राजपूत निवासी चौहटन, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.रेवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह 2.उत्सवकंवर पुत्री भंवरसिंह 3.कैलाशकंवर पत्नि भंवरसिंह, जाति राजपूत 4.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री नरेश भादू**

निर्णय

दिनांक :– 30.11.2021

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा दर्जियों का तला (धारासर) तहसील चौहटन में मूल खसरा सं. 651 रकबा 297.17 बीघा नवसर्जित खसरा सं. 717/651 रकबा 148.17 बीघा प्रार्थीगण का एवं खसरा सं. 719/651 रकबा 79.00 बीघा विप्रार्थीगण का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष बागसिंह पुत्र सरदारसिंह व करनसिंह पुत्र कानसिंह के नाम 1/2–1/2 दर्ज थी। खातेदार बाघसिंह द्वारा दिनांक 15.04.1972 को अपने हिस्से में से 69.00 बीघा का [illegible] नामान्तरकरण सं. 170 के जरिये राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी [illegible] मूल खसरा सं. 651 को विभाजित कर तरमीम कर दी [illegible] काश्त अनुसार न[illegible] जाकर गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

तरमीम कर दी । जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु यह आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश भादू ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के निवेदन पर आवेदन में वर्णित वादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प बावड़ीकला में पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए निवेदन किया गया कि तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष को अधिवक्ताओं को तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्वीकार है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा दर्जियों का तला (धारासर) तहसील चौहटन में खसरा सं. 651 रकबा 297.17 बीघा नवसर्जित खसरा सं. 717/651 रकबा 148.17 बीघाएवं खसरा सं. 719/651 रकबा 79.00 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के कैम्प बावड़ीकला में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:35 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन